

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संवल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा

अनुवान जीवराज सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 211/2025

निर्णय दिनांक 30/6/25

जीवराज सिंह पुत्र धनपत राम जाति जाट निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


--:निर्णय:--

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संवल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 305 खसरा नं. 220 तादादी 5.0959 हैक्ट., खसरा नं. 231 तादादी 10.0528 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम रैयाटुण्डा व खाता संख्या 97 खसरा नं. 1448/242 तादादी 0.7840 हैक्ट., खसरा नं. 1450/242 तादादी 5.1718 हैक्ट., खसरा नं. 156 तादादी 5.8546 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम ढाणी माना में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रमशः जिवराजसिंह पुत्र धनपत एवं जिवराजसिंह पुत्र धनपतराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम जीवराज सिंह पुत्र धनपत राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम जीवराज सिंह पुत्र धनपत राम किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 305 खसरा नं. 220 तादादी 5.0959 हैक्ट., खसरा नं. 231 तादादी 10.0528 हैक्ट. व कृषि भूमि रोही ग्राम ढाणी माना के खाता संख्या 97 खसरा नं. 1448/242 तादादी 0.7840 हैक्ट., खसरा नं. 1450/242 तादादी 5.1718 हैक्ट., खसरा नं. 156 तादादी 5.8546 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम क्रमशः जिवराजसिंह पुत्र धनपत एवं जिवराजसिंह पुत्र धनपतराम Delete कर इसके स्थान पर जीवराज सिंह पुत्र धनपत राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/25 को कैम्प कोर्ट रैयाटुण्डा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)